कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट (सोनभद्र) ।

पत्रांक : 3223 /रेनुकूट/ 15—31 रेनकूट,दिनांक,मार्च, 10, ,2018

सेवा में,

श्री सौरभ शाह
अधिकृत हस्ताक्षरी
मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0
रेनुकूट—सोनभद्र ।

विषयः— जनपद—सोनभद्र में (रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत) मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 (रेनुसागर पावर डिवीजन रेनुसागर) को रेनुसागर पावर प्लांट से हिण्डालको प्लांट रेनुकूट तक 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण एवं संचालन हेतु हस्तान्तरित 38.2591 हे0 आरक्षित वन भूमि के पट्टे का 25 वर्षो के लिए नवीनीकरण किया जाना ।

संदर्भः— आपका पत्र दिनांक—28.02.2018 तथा दिनांक—05.03.2018

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने का कष्ट करें । उक्त पत्रो द्वारा लीज के नवीनीकरण का प्रस्ताव ऑन लाईन एम0ओ0ई0एफ0 के साईट पर संस्थान द्वारा अपलोड कराते हुए उससे संबंधित प्रपत्रों की छः प्रतियॉ इस कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गयी है । उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर लीज नवीनीकरण से संबंधित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियॉ पायी गयी :—

1— लीज नवीनीकरण से संबंधित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कापी भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार नही किया गया है ।

2— लीज नवीनीकरण से संबंधित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव चेक लिस्ट के अनुसार तैयार नही किया गया है ।

3— लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में संस्थान द्वारा संलग्न किये गये समस्त अभिलेखो पर भारत सरकार के निर्देशानुसार मूल हस्ताक्षर होना अनिवार्य है ।

4— उपरोक्तानुसार समस्त अभिलेखों को पूर्ण कराते हुए वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव तैयार किया जाय । प्रस्ताव तैयार होने के उपरान्त पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए विषय सूची के साथ प्रस्ताव की वाईडिंग कराते हुए लीज के नवीनीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय ।

उपरोक्तानुसार आपत्तियों के निराकरण कराने हेतु आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव की छः प्रतियॉ इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए वापस प्रेषित की जाती है ।

<u>संलग्नकः—उपरोक्तानुसार</u> ।

भवदीय

10.3.18

(ए0के0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

Recd
12/3/18